न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 103/2015 **दायरा दिनांक : 18.09.2015**

उनवान

1— मनोहर सिंह वल्द श्री दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

2— मोहन सिंह आत्मज श्री दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— किशनसिंह उर्फ रामकिशन आत्मज देवराम उर्फ देवी सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

2— रायसिंह आत्मज देवराम उर्फ देवी सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

3— बने सिंह उर्फ बन्शी आत्मज देवराम उर्फ देवी सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

4— कैलाश आत्मज रामसिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

5— भगवती बाई पुत्री राम सिंह पत्नी गोपाल, जाति मीणा, निवासी बडबेली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6— दुर्गा बाई पुत्री रामसिंह पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोडी, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

7— गीता बाई पुत्री रामसिंह पत्नी प्रकाश चंद, जाति मीणा, निवासी पेटभर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

8— गायत्री बाई पुत्री रामसिंह पत्नी चेनालाल, जाति मीणा, निवासी थालेडा

9— पदमा बाई पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेश, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी

10— धापू बाई बेवा राम सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

11— कृष्णा बाई पुत्री दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा,

12— मंजू बाई पुत्री दोलत सिंह, पत्नी गोपाल सिंह, जाति मीणा, निवासी अकतासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

13— कंचन बाई बेवा दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

14— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 108/2015 दायरा दिनांक : 18.09.2015

उनवान

1— मनोहर सिंह वल्द श्री दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

2— मोहन सिंह आत्मज श्री दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— किशनसिंह उर्फ रामकिशन आत्मज देवराम उर्फ देवी सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

2— रायसिंह आत्मज देवराम उर्फ देवी सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

3— बने सिंह उर्फ बन्शी आत्मज देवराम उर्फ देवी सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

4— कैलाश आत्मज रामसिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

5— भगवती बाई पुत्री राम सिंह पत्नी गोपाल, जाति मीणा, निवासी बडबेली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6— दुर्गा बाई पुत्री रामसिंह पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोडी, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

7— गीता बाई पुत्री रामसिंह पत्नी प्रकाश चंद, जाति मीणा, निवासी पेटभर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

8— गायत्री बाई पुत्री रामसिंह पत्नी चेनालाल, जाति मीणा, निवासी थालेडा

9— पदमा बाई पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेश, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी

10— धापू बाई बेवा राम सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

11— कृष्णा बाई पुत्री दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा,

12— मंजू बाई पुत्री दोलत सिंह, पत्नी गोपाल सिंह, जाति मीणा, निवासी अकतासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

13— कंचन बाई बेवा दोलत सिंह, जाति मीणा, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

14— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री के एल रावल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.04.2018

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 424/2005 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 किशनसिंह ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 54ए एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिडावा, तहसील पिडावा में आराजी खाता संख्या नई 391 पुराना 381 के खसरा नम्बर 82 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 169 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 19 बिस्वा कुल 11 किता की 16 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा है । आराजी शामलाती में रहने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है और प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा रहते हैं । वादग्रस्त आराजी के

विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2008 से दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 11.02.2009 से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 103/20015 जो कि प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है में यह कथन किया गया है कि अपीलांटगण को नोटिस की तामील विधि सम्मत रूप से नहीं करवायी गयी है । एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । तहसीलदार पिडावा ने बंटवारा तैयार करते समय अपीलांटगण को सूचना नहीं दी है । पूर्व में बंटवारे का एक दावा निर्णित हो चुका है पुनः यह दावा पोषनीय नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि नोटिस की विधि सम्मत रूप से तामील नहीं हुई है । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.08.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 108/20015 जो कि अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है में यह कथन किया गया है कि समस्त पक्षकारों को मौके पर नहीं बुलाया गया है । मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि नोटिस की विधि सम्मत रूप से तामील नहीं हुई है । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.08.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गयी है । गलत रूप से एक तरफा कार्यवाही की गई है । 40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है । दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से काउंटर क्लेम भी पेश किया गया था । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादीगण 2 लगायत 5, 7, 9, 12, 14 का जवाबदावा, प्रतिवादी नम्बर 1 का जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश हुआ है । बयान किशनसिंह पी डब्ल्यू 1, तारा सिंह पी डब्ल्यू 2, राय सिंह पी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं । पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 एक्जीविट 1 भी सलंग्न है । अपील

अपीलांटगण जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 10 और 11 हैं के द्वारा पेश की गई है । इनके द्वारा यह कथन किया गया है कि उनकी तामील विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । इस क्रम में पत्रावली में सलंग्न तामील रिर्पोट का अवलोकन किया गया । मोहनसिंह की तामील रिपोर्ट में मोहन सिंह को तामील किया जाना अंकित है । मनोहर सिंह की तामील में मोहन सिंह भाई को तामील किया जाना अंकित है । परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी नम्बर 12 के सम्मन भी भाई मोहन सिंह ने ही लिये हैं और प्रतिवादी नम्बर 12 ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश किया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट मोहन सिंह और मनोहरसिंह का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय में उनकी विधि सम्मत तामील नहीं हुई है और उन्हें प्रकरण के तथ्यों की जानकारी नहीं थी, उचित प्रतीत नहीं होता है । जब मोहन सिंह द्वारा लिये गये सम्मन के आधार पर उनकी बहन कृष्णा बाई अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो सकती है तो मोहन सिंह स्वयं एवं उनके भाई मनोहरसिंह भी उपस्थित हो सकते थे । अधीनस्थ न्यायालय में जो राजस्व रेकार्ड सलंग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में रामसिंह, राय सिंह, किशनसिंह, दौलत सिंह और बने सिंह का समभाग से हिस्सा है जिसके अनुसार किशन सिंह वादी का 1/5 हिस्सा बनता है । राय सिंह प्रतिवादी नम्बर 1 का भी 1/5 हिस्सा बनता है । बने सिंह प्रतिवादी नम्बर 2 का भी 1/5 हिस्सा बनता है और रामसिंह के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 9 का 1/5 हिस्सा बनता है और दौलत सिंह के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 14 का भी 1/5 हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री इसी अनुसार 1/5 हिस्से के लिए जारी की है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अपीलांटगण का यह कथन है कि पूर्व में भी इस बाबत एक दावा निर्णित हो चुका है, इस कारण से यह दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित है परन्तु उस निर्णय की कोई प्रति न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही अपील में पेश की गई है । इस प्रकार अपीलांट अपने

इस कथन को साबित नहीं कर पाये हैं । इन तथ्यों के आधार पर अपीलांटगण की प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.02.2009 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई और विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान ने सहमति व्यक्त की है । अंतिम डिक्री भी हिस्से के अनुसार जारी की गई है जब सहमति के आधार पर विधिक हिस्से के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई है तो उनके खिलाफ आपत्ति करने का अपीलांटगण को कोई अधिकार नहीं है । यदि अपीलांटगण यह महसूस करते हैं कि उनके द्वारा सहमति नहीं दी गयी थी तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू पेश कर सकते हैं परन्तु सहमति के आधार पर जारी डिक्री के खिलाफ अपील पोषणीय नहीं है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों अपीले गम्भीर रूप से अवधि बाधित हैं । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपीलांटगण का यह कथन है कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी है तथ्यों के विपरीत है क्योंकि अपीलांट नम्बर 2 मोहन सिंह के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 12 कृष्णा बाई का जो सम्मन लिया गया था उसके आधार पर वो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई है और जवाबदावा पेश किया है ।

इन समस्त तथ्यों के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 103/2015 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री एवं अपील संख्या 108/2015 विरूद्ध अंतिम डिक्री सारहीन होने व गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 30.08.2008 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 यथावत रखे किये जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा